

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF DEFENCE मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु MARATHAHALLI COLONY P.O., BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1795 / Type Approval No. 1795

मद/FOR ITEM: इंटरफेस यूनिट आइएफयू (एएनएस-2820ए) पार्ट सं. एन149390/ Interface Unit IFU (ANS-2820A) Part No. N149390

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एच ए एल पी.ओ, बालानगर, हैदराबाद-500 042, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " इंटरफेस यूनिट आइएफयू (एएनएस-2820ए", पार्ट सं. एन149390 को मास्टर आरेखन इंडेक्स (एमडीआइ) दस्तावेज़ सं. 149390 डीएल, इश्यू सं.6, दिनांक 11 फरवरी 2013 के अनुसार उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर सी एम ए (हैदराबाद) के समन्वय से तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज़ सं. एराएलआरडीसी(एपएएल) /आइएफयू/ बीआइएसओएन/ टीएस, इश्यू सं. 002, दिनांक 25 नवंबर 2010 और क्यूटीपी रिपोर्ट सं. एसएलआरडीसी (सीओएम)/ बीआइएसओएन/ आइएफयू/ क्यूटीपी, इश्यू सं. 001, दिनांक 16 जून 2010 एवं वीडीडी दस्तावेज़ सं. एसएलआरडीसी (एचएएल)/ आइएफयू/ बीआइएसओएन/ आइएफयू/ वीडीडी, इश्यू सं.03, दिनांक 28 जून 2011, एस/ डब्ल्यू वर्जन 1.0 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट ' ए' में संलग्न " वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट" में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Interface Unit IFU (ANS-2820A)" bearing the Part No. N149390 Designed, Developed and Manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, HAL P.O., Balanagar, Hyderabad – 500 042, is hereby approved for production as per Master Drawing Index (MDI) Doc. No. 149390DL, Issue No. 6, Dt. 11th Feb 2013, for use on MIG-21 UPG (BISON) Aircraft Platform. The product has been tested in co-ordination with RCMA (Hyd) as per Technical specification Doc. No: SLRDC (HAL)/IFU/BISON/TS, Issue No. 002, Dt: 25th Nov 2010 and QTP report No. SLRDC (COM)/BISON/IFU/QTP, Issue No. 001, Dt: 16th Jun 2010 and VDD Doc No. SLRDC (HAL)/IFU/BISON/VDD, Issue No. 03, Dt: 28th Jun 2011, S/W Version 1.0. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

पृष्ठ सं./Page 01 of 02

पृष्ठ सं./Page 02 of 02 टी ए सं./TA No. 1795 F-07-11

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2018 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (हैदराबाद), द्वारा एचएएल, बालानगर, हैदराबाद-500 042, से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31^{st} Dec 2018 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Hyd), C/o HAL, Balanagar, Hyderabad – 500 042, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकोर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलेक), बेंगलूरु की पूर्व सहमित लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वार गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl: परिशिष्ट ' ए' /Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलेक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1795

दिनांक/Date : 2013

फैक्स सं./Fax No: 080-25/230856

21/10/2013

12

(डॉ.के.तमिलमणि) Dr. K.TAMILMANI) महा निदेशक (एरी)/ Director General (Aero) मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)